## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
### पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 28 / 2023
दायर दिनांक : 14 / 08 / 2023
निर्णय दिनांक : 16 / 01 / 2025

उनवान

1. छोगालाल पिता मगनीराम लौहार निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर **प्रार्थी**

**बनाम**

1. भंवरी बाई पत्नी गोपीलाल वैष्णव निवासी हडमतिया तहसील भूपालसागर
2. प्रेमा पिता मगनीराम लौहार निवासी बूल का खेडा हाल मु0 बालद तहसील भूपालसागर
3. शंकर पिता मगनीराम लौहार निवासी बूल का खेडा हाल मु0 बालद तहसील भूपालसागर
4. तहसीलदार भूपालसागर

**अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति** : 1. मांगीलाल बैरवा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. कन्हैयालाल माली, अधिवक्ता अप्रार्थी
3 देवीलाल जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

**: : निर्णय : :**

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त उनवान का वादपत्र वादी ने ठोस तथ्यों के आधार पर न्यायालय आपमे पेश किया है जो अवश्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निर्णय में लंबा समय लगेगा।यह कि प्राथी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात मौजा सरदारपुरा प0ह0 बूल तहसील भूपालसागर के अंदर हल्के बैरूनी में स्थित है। जिसके खाता स0 54 के हाल आराजी नं0 100 रकबा 0.05 है0 आराजी नं0 154 रकबा 2.31 है0 आराजी नं0 157 रकबा 0.12 है0 आराजी नं0 158 रकबा 0.19 है0 आराजी नं0 159 रकबा 0.41 है0 आराजी नं0 160 रकबा 1.57 है0 आराजी नं0 95 रकबा 0.33 है0 आराजी नं0 98 रकबा 0.24 है0 आराजी नं0 99 रकबा 0.01 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 5.23 है0 तथा गांव बूल में स्थित खाता स0 291 के हाल आ0स0 827 रकबा 0.04 है0 आ0स0 828 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 रकबा 0.19 है0 तथा खाता [illegible] के हाल आ0स0 1166 रकबा 0.14 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित [illegible] सबूत के लिए नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के संलग्न है। यह कि प्रार्थना पत्र आराजियात एवं अप्रार्थी[illegible] की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच बादात आराजियात का मौके पर बटवारा कर रखा है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबि[illegible] होकर के काश्त कर रहे है

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच वादगत आराजियात का नियमानुसार बटवाडा नही कर रखा है जिसके कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच लगान जमा कराने में व अन्य सीमाओं को लेकर के विवाद रहता है जिस कारण से वादगत आराजीयात का बटवाडा कराने का वादपत्र पेश किया है। यह कि वादगत आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच मौके पर बटवाडा कर रखा है एंव प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर के काश्तकार रहे लेकिन वादगत आराजियात का नियमानुसार बटवाडा नही कर रखा है जिसके कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच मौके पर लडाई झगडा विवाद हो रहा है तथा अप्रार्थीगण वादगत आराजीयात में अपने हिस्से की आराजी से प्रार्थी का कब्जा हटाने पर आमदा है जिसका अप्रार्थीग्ण को कोई वैधानिक अधिकार नही है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी फरमाया जाकर के अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थनापत्र की कालम स0 2 में वर्णित अपने हिस्से की 1/3 आराजियात से प्रार्थी का कब्जा नही हटावे तथा वादगत आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को बह वक्षीस, विक्रय, दान वसीयत नहीं करे एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे, भू रूपांतरण नहीं करे एवं वादगत आराजीयात पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं करे ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर एजेंट व परिवार जन व अधीनस्थ कर्मचारीगण आदि से भी नही करावें। यह कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थी अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्षप्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी नहीं फरमाया गया और अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी दादागिरी एवं ताकत के बल पर मौके पर जाकर वादगत आराजी से प्रार्थी का कब्जा हटा दिया गया तो प्रार्थी को अपार नुकसान होगा तथा किमती जायदाद से वंचित होना पडेगा इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण जारी फरमाया जाना आवश्यक है जारी नहीं फरमाया गया तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। कि पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस आशय की जारी फरमाया जावे कि वाद वर्णित आराजियात से अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से कब्जे की आराजियात पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा नहीं करे प्रार्थी का कब्जा नहीं हटावे दोराने प्रार्थनापत्र वादगत आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को बह वक्षीस, विक्रय, दान वसीयत नहीं करे एवं वादगत आराजियात का भू रूपांतरण नही करे एवज ब तक बटवाडा नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण वादगत आराजी पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करे ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करे और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर एजेंट व परिवार जन व अधीनस्थ कर्मचारीगण आदि से भी नही करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री देवीलाल जाट ने अधिकार पत्र एंव जवाब पेश किया, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल माली ने अधिकारपत्र एवं जवाब पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया है कि प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 1 में वर्णित गलत होने से अस्वीकार है, कॉलम संख्या 2 में वर्णित आरा[illegible] हक हिस्से, अनुसार दर्ज होना स्वीकार है। कॉलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य आं[illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम बूल के खाता संख्या 291 की आ0स0 827 व 828 में 2/3 हक हिस्से की खातेदार है तथा खातास0 382 के हाल आ0स0 1166 में 5/11 हक हिस्से की खातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच मौखिक बंटवारा कर रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर काबिज होकर काश्त कर रही है, कब्जे के अनुसार बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:48 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी, भूपालस

ा जाए तो अप्रार्थी संख्या 1 को कोई उजर नही है। प्रार्थनापत्र की कॉलम संख्या 4 में वर्णित तथ्य लत होने से अस्वीकार है। कभी विवाद नही होने से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। कालॅम स0 5,6,7 अस्वीकार है। कॉलम स0 8,9,10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नही है। कॉलम स0 11 व 12 अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया है कि कॉलम स0 2 आशिक स्वीकार है, आराजियात होना स्वीकार है, प्रार्थी का कोई हक अधिकार एवं कब्जा नहीं है, कॉलम 3 आंशिक स्वीकार है, हाल खाता स0 54 व 382 में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार है शेष इवारत गलत होकर अस्वीकार है क्योंकि हाल खाता स0 291 में दर्ज हाल आ0स0 827,828 संपूर्ण पर आ0स0 दो का कब्जा होकर उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं अन्य सह खातेदार बशीलाल भैरूलाल एवं धनीबाई के द्वारा अपने नाम दर्ज आराजी स0 921 रकबा 0.56 है0 आराजियात का केता छोगालाल को विकय किया गया था विकय से प्राप्त राशि प्रार्थी एवं अ0स0तीन द्वारा प्राप्त की और उक्त राशि के पेटे अपनी सह खातेदारी के हाल आ0स0 827 828 का संपूर्ण रकबा अ0स0 दो को दिया गया इस प्रकार प्रार्थनापत्र वर्णित हाल आ0न. 827 828 रकबा 0.19 है0 के अलावा शेष सपूर्ण आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है कालॅम संख्या 4 आंशिक स्वीकार है कॉलम सं0 5 6 7 गलत होकर अस्वीकार है, कालॅम 8 9 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है, कालम स0 11 अस्वीकार है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 आंशिक स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के निर्णय तक मौके की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Puneet Kumar Gelra
Date: 2025.03.11 10:06:48 IST
Reason: SelfAttested